प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुधराज सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुधराज सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, जो कैंधा, थाना-सचेण्डी, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव व मकान विवाद की रंजिश में दिनांक 04.07.2003 को समय लगभग 05:45 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवधेश उर्फ पुत्तन एवं दशरथ सिंह नामक 02 व्यक्तियों की तमंचा व चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1072/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कक्ष सं0-12), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 173.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.10.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना प्रतीत होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, रिहा होने के उपरान्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों में विवाद के दृष्टिगत बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्यपूर्ण होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव व मकान विवाद की रंजिश में दिनांक 04.07.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों की तमंचा व चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न होने व बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बुधराज सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुत **नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी बुधराज सिंह (बन्दी संख्या-18829) पुत्र श्री शमशेर सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-63/2020/3014(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-63/2020/3014/22-2-2019-17(1177)/2019

दिनांक 30 जनवरी, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुधराज सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, जो कैंधा, थाना-सचेण्डी, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव व मकान विवाद की रंजिश में दिनांक 04.07.2003 को समय लगभग 05:45 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवधेश उर्फ पुत्तन एवं दशरथ सिंह नामक 02 व्यक्तियों की तमंचा व चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1072/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कक्ष सं0-12), कानपुर नगर के आदेश दिनांक 173.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 30.10.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट में दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना प्रतीत होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, रिहा होने के उपरान्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों में विवाद के दृष्टिगत बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्यपूर्ण होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने प्रधानी चुनाव व मकान विवाद की रंजिश में दिनांक 04.07.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों की तमंचा व चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने व बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बुधराज सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुत **नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in